भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2437

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

सीएसआर परियोजनाएं

2437. श्री राजेश पाण्डेयः
श्री निशिकान्त दुबेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में सीएसआर क्रियाकलापों के माध्यम से पर्यावरण, कौशल विकास, जल और स्वच्छता जैसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं में शामिल सामाजिक क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) में राज्य-वार कितने संगठन कार्य कर रहे हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त संगठनों/एनजीओ द्वारा स्वीकृत/आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): इस मंत्रालय में ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता। तथापि, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) में कंपनियों की बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर संबंधी वार्षिक प्रकटीकरण करने का निर्दिष्ट प्रपत्र निर्धारित किया गया है जिसमें न्यासियों या सोसाइटियों या धारा 8 कंपनियों, यदि हों, के नाम से संबंधित प्रकटीकरण शामिल है।

*****